मैनुअल–12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

कार्यक्रम का नाम – प्रतिभा केन्द्र के रुप में प्रत्येक जनपद में एक–एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना।

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय–सीमा– वर्ष 2003 से अनवरत्

कार्यक्रम का उद्देश्य– प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों का सर्वांगीण विकास, क्षेत्रीय असमानता दूर करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, रोजगार पर्यावरण आदि के प्रति आगरूक करना।

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य(विगत वर्ष में)– 420 छात्र/छात्रायें

लाभार्थी की पात्रता – कक्षा 6 से 12 तक अनिवार्य आवसीय व्यवस्था।

पूर्वापेक्षायें– निःशुल्क सह शिक्षा

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–

पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड– प्रवेश परीक्षा कक्षा–5 उत्तीर्ण प्रवेश की मेरिट लिस्ट में चयन।

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण/अनुदान की राशि–×

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया– शासनादेशानुसार

आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करे– एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड

आवेदन शुल्क– शासनादेशानुसार

अन्य शुल्क– शासनादेशानुसार

आवेदन का प्रारूप–×

संलग्नकों की सूची–×

संलग्नकों का प्रारुप–×

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहॉ सम्पर्क करें– एस0सी0ई0आर0टी0/प्राचार्य, रा0गो0न0वि0

उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसा कि जिला/ब्लाक इत्यादि)– विद्यालय

लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)– विद्यालय स्तर पर उपलब्ध।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गॉव	मकान नं0

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

शिक्षा विभाग देहरादून : दिनांक 10 अप्रैल,

विषय :' प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रतिभा के न्द्र के रुप में एक–एक राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय की स्थापना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विभिन्न जनपदों के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों मे निवास करने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रतिभा केन्द्र के रुप में एक–एक राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय निम्नवत है–

2. उद्देश्य :–

(1) प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों का सर्वांगीण विकास (मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक) कर अधिकतम दक्षताओं का विकास।

(2) क्षेत्रीय असमानता से ऊपर उठकर छात्रों को प्रगति के अवसर उपलबध कराना।

(3) छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना।

(4) छात्रों मे अपने पर्यावरण के प्रति पर्याप्त जागरुकता पैदा करना।

(5) छात्रों को रोजगार के अवसरों के अनुरुप शिक्षा प्रदान कराया जाना।

(6) छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

(7) विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर, छात्रों को राष्ट्र की सेवा में उच्च स्तरों पर महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन हेतु दक्षता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

3–कार्यान्वयन योजना :–

प्रस्तावित विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ 2002–2003 में एक जनपद में, 2003–2004 में चार जनपद, 2004–2005 में चार जनपद और 2005–2006 में शेष चार जनपदों का लक्ष्य प्रस्तावित है। यह विद्यालय जिला मुख्यालय अथवा किसी अपेक्षाकृत शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े केन्द्र पर स्थापित किया जाय।

4– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु चयन, उनकी पात्रता, विद्यालय पाठ्क्रम, प्रबन्ध, अध्यापकों का चयन, विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधायें निम्नवत होंगीः–

(1) प्रवेश की व्यवस्था

प्रारम्भ में विद्यार्थियों का प्रवेश कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में किया जायेगा। आगामी वर्षों में शनै–शनै उच्च कक्षाओं का संचालन किया जाय। विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नरेन्द्रनगर,, टिहरी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा विद्यार्थियों का चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाय।

(2) प्रवेश हेतु पात्रताः–

कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 01 जुलाई को 10 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य एवं कक्षा 9 में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 01 जुलाई को 13 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य होगी। इन दो स्तरों पर प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से क्रमशः कक्षा 5 व 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने हेतु 75 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाय तथा बालक और

बालिकाओं का अनुपात 50–50 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय। विभिनन वर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों एवं नीति के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(3) शिक्षण व्यवस्था :–

उक्त विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षायें संचालित की जायेंगी। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा के दो अनुभाग होंगे। कक्षा 9 से 12 तक शुरु के 3 वर्षों में दो अनुभाग संचालित किये जाय। तत्पश्चात प्रत्येक कक्षा में 4–4 अनुभाग होंगे जिनमें से दो अनुभाग कक्षा 8 से उसी विद्यालय से उत्तीर्ण होकर आने वाले विद्याथ्रियों के लिये तथा शेष दो अनुभाग में विद्यार्थियों का चयन कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक अनुभाग में अधिकतक छात्र संख्या 30 होगी। इस प्रकार विद्यालय में अन्तिम रुप से विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 निर्धारित की गई है।

(4) पाठ्क्रम :–

चूंकि इस विद्यालय का उद्देश्य अध्ययन या अध्यापन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्था के रुप में स्थापित किया जाना है अतः इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि यहां से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी विभिन्न राष्ट्रीय सेवाओं में प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रतिभाग कर व तकनीकि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा/दक्षता प्राप्त कर उपलब्ध रोजगारपरक सुविधाओं का समुचित उपयोग कर सकें। अतः इन विद्यालयों में सी0बी0एस0ई0 का पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा तथा सी0बी0एस0ई0से मान्यता प्राप्त करने की अग्रेतर कार्यवाही भी की जाय, साथ ही उत्तरांचल राज्य की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुपूरक पाठ्य सामग्री के समावेश हेतु प्रत्येक कक्षा में एक पुस्तक एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तरांचल द्वारा तैयार कर संचालित की जाय। त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषा जिसमें विदेशी भाषा भी शामिल हो, के अध्ययन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

(5) शिक्षा का माध्यम :–

हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय तथा उसके लिए अनुभागों को 50–50 प्रतिशत के अनुपात में वर्गीकृत किया जायेगा। शिक्षा के माध्यम का चुनाव छात्रों द्वारा किया जायेगा जिस हेतु प्रवेश परीक्षा की मैरिट को आधार माना जायेगा।

(6) स्थानान्तरण हेतु व्यवस्था :–

विशिष्ट परिस्थितियों में विद्यार्थियों को एक राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय से दूसरे राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय में स्थानान्तरण की सुविधा छात्र संख्या एवं विद्यालय की क्षमता के आधार पर प्रदान की जा सकती है।

(7) प्रबन्धन :–

प्रत्येक विद्यालय प्रबन्धन के लिए एक स्थानीय समिति निम्नवत गठित की गयी है :–

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. विद्यालय के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव
3. (अ) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पदेन सदस्य

(ब) जिलाधिकारी द्वारा नामित निमन तीन सदस्य

- जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्था से शिक्षाविद्।
- जनपद में उपलब्ध सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी अथवा ख्याति प्राप्त संवानिवृत्त शिक्षक।

4– जनपद में स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति/कैम्पस इन्चार्ज/पोस्ट ग्रेजुएट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामित एक प्रध्यापक।

समिति का कार्य एवं उत्तर दायित्व :–

1– विद्यालय का सामान्य प्रशासन।

2– अध्ययन–अध्यापन हेतु अध्यापकों की व्यवस्था।

3– विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध।

4– विद्यालय के अकादमिक (Academic) पक्ष का समय–समय पर अनुश्रवण।
5– छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिये नयी योजनायें बनाने और उनका क्रियान्वयन।
6– समिति द्वारा राज्य सरकार/शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7– यह समिति संसाी के विकास के लिये राज्य सरकार के अलावा अन्य श्रोतों से सहयोग राशि आदि लेने के लिये भी अधिकृत होगी।

(8) विद्यालय हेतु अध्यापकों की व्यवस्था :–

विद्यालय हेतु अध्यापकों का चयन शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय आदि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाय। प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष की होगी किन्तु अक्षमता अथवा अस्वस्थता आदि अपरिहार्य कारणों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि कम की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर योग्य अध्यापक न मिलने की दशा में निश्चित मानदेय पर भी अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकती है, इस हेतु 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षक भी अर्ह होंगे। प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का चयन शिक्षा निदेशक द्वारा गठित बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसमें शिक्षक के कार्यानुभव और उसके अध्यापन के दौरान पढ़ाये गये परीक्षाफल के आधार पर योग्यतम अध्यापकों का चयन किया जाय। महिला एवं पुरुष दोनों योग्यता के आधार पर चयनित किये जाय।

विद्यालय के प्रधानाचार्य समस्त छात्रों की उपलब्धियों के प्रति उत्तरदायी होंगे व विद्यालय के उत्तम स्तर के परीक्षाफल का उत्तरदायित्व भी उनका ही होगा। संबंधित विषय के अध्यापक अपने छात्रों के परीक्षाफल के प्रति उत्तरदायी होंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक/कर्मचारियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भी व्यवस्था की जाय।

(9) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा :–

परिषदीय परीक्षा में प्रदेश के अधिकतम अंक पाने वाले उन प्रथम 10 छात्रों जो इन.....
प्रदान की जाती हे तो विद्यालय प्रबन्ध समिति इसे स्वीकार करेंगी।

(10) विद्यालय हेतु भूमि भवन की व्यवस्था :–

विद्यालय हेतु न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें 22 कक्षा कक्षों का निर्माण, इण्टर स्तर पर भौतिक, रसायन तथा जीवविज्ञान विषयों की प्रयोगशालाओं का निर्माण, हाईस्कूल स्तर पर 02 प्रयोगशालाओं का निर्माण, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 उप प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, बहुउद्देषीय हाल (Multipupose Hall), रसोईघर टाइप–IV आवास–2, टाइप–III आवास–32, टाइप–I के 06 आवास के निर्माण के साथ–साथ क्रीड़ा स्थल भी तैयार किया जायेगा। इस हेतु नियमानुसार आगणन तैयार कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी। भवनों का निर्माण यथासमय आवश्यकतानुसार चरणाों में किया जाय।

(11) राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय हेतु निम्न पद सृजित किये गये हैं :–

निम्नलिखित पदों का सृजन उनके सम्मुख अंकित संख्या एवं वेतनमान के अनुरुप की गई है :–

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
प्रधानाचार्य	01	10000–15000
उप प्रधानाचार्य	01	7500–12000
प्रवक्ता/पजीटी	12	6500–10500
सहायक अध्यापक	20	5500–9000
पीटीआई	01	5500–9000
कार्यालय अधीक्षक	01	4000–6000
वरिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर	01	5000–8000

इसके अतिरिक्त कनिष्ठ लिपिक 02, कम्प्यूटर आपरेटर 01, स्टोर कीपर 01 तथा चतुर्थ श्रेणी 06, माली, स्वीपर, आदि की व्यवस्था संविदा के आधार पर की जाय।

क्योंकि प्रथम वर्ष छात्रों के प्रवेश कक्षा 6 और 9 में दो–दो अनुभागों में होंगे अतः उस वर्ष प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा 07 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति ही की जायेगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, जिसमें एक अनुभाग पर 1.5 अध्यापक के हिसाब से गणना की जायेगी।

(12) भूमि–भवन एवं कक्षों का निर्माण :–

निर्माण कार्य को निम्नवत तीन चरणों में कराया जाना प्रस्तावित है :–

भोजनालय, डोरमेटरी, (क्षमता 240 छात्रों हेतु) प्रधानाचार्य आवास, कर्मचारी आवास, चिकित्सा कक्ष, प्रशासनिक खण्ड एवं चतुर्थ श्रेणी आवास का निर्माण किया जाय।

द्वितीय चरण में 10 कक्षा कक्षों, प्रयोगशाला, डोरमेटरी, (क्षमता 240 छात्रों हेतु) भोजनालय, कर्मचारी आवास, उप–प्रधानाचार्य आवास एवं भण्डार कक्ष आदि का निर्माण किया जायेगा।

तृतीय चरण में 05 कक्षा कक्ष, कर्मचारियों हेतु 08 आवास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु 02 आवास, 180 छात्रों हेतु डोरमेटरी, बहुपयोगी कक्ष, जिम/कार्याशाला एवं तरणताल आदि का निर्माण किया जायेगा।

5– उल्लेखनीय है कि जनपद देहरादून में प्रथम राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। इस नवोदय विद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिये आदेश संख्या 285/माध्यमिक/2003 दिनांक 29 मार्च, 2003 के द्वारा रु0 4,17,43,310/– (चार करोड़ सत्रह लाख तैतालीस हजार तीन सौ दस मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। माह–जुलाई 2003 में इस विद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। चूँकि स्थायी भवन बनने में समय लगेगा, इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में आवश्यक कार्यवाही जून माह से पूर्व पूर्ण करके माह जुलाई से विद्यालय में पठन–पाठन प्रारम्भ किया जाय।

6– आगामी शैक्षिक सत्र से देहरादून में स्थापित किये जा रहे है राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय में बच्चों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायं इस हेतु विज्ञापन देते समय निःशुल्क व्यवस्था का भी उल्लेख किया जाय लेकिन विज्ञापन में यह इंगित किया जाय कि प्रथम वर्ष के अनुभव के आधार पर आगे छात्रावास पर होने वाले व्यय तथा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क लेने की आवश्यकता के संबंध में यथासमय अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

7– अन्य जनपदों में राजीव गॉधी नवोदय की स्थापना किये जाने हेतु पहले किसी उपलब्ध विद्यालय को परिवर्द्धित करने तथा अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्तानुसार नवनिर्माण की व्यवस्था भी की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में चल रहे किसी नवाहर नवोदय विद्यालय का अध्ययन करके तथा प्रथम वर्ष स्कूल को चलाने के वित्तीय अनुभव के मूल्यांकन के आधार पर शुल्क के सम्बन्ध में यथासमय प्रसताव/संस्तुति प्रस्तुत की जाय।

परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था के विद्यालयों में प्रवेश देने की व्यवस्था की जायेगी।

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार जनपद देहरादून में आगामी शैक्षिक सत्र से राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय के संचालन हेतु समिति के गठन, भवन निर्माण, वैकल्पिक व्यवस्था, प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम व्यवस्था एवं वित्तीय उपाशयता आदि समस्त बिन्दुओं क सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने तथा यथा आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या (1)/प्र0शि0/2003–04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित '–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

5. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
6. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कमाऊँ/मढ़वांल
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तरांचल।
8. अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से

प्रमुख सचिव

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

कार्यक्रम का नाम – आरोही परियोजना

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय–सीमा– वर्ष 2002 से अनवरत्

कार्यक्रम का उद्देश्य– कम्प्यूटर साक्षरता

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य(विगत वर्ष में)– 170 कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराना।

लाभार्थी की पात्रता – राजकीय व सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय

पूर्वापेक्षायें– ×

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–

पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड– ×

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण/अनुदान की राशि–×

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया– ×

आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करे– जिला शिक्षा अधिकारी

आवेदन शुल्क– ×

अन्य शुल्क– ×

आवेदन का प्रारूप–×

संलग्नकों की सूची–×

संलग्नकों का प्रारुप–×

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहॉ सम्पर्क करें– जिला शिक्षा अधिकारी

उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसा कि जिला/ब्लाक इत्यादि)–

लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)– जनपद स्तर पर उपलब्ध।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गॉव	मकान नं0

शासनादेश संख्या /**XXIV-3** /2005 दिनांक, जनवरी 2006 का संलग्नक

जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	कम्प्यूटरो की संख्या	यू0पी0एस0 की संख्या		प्रिन्टर्स की संख्या
	8. रा0उ0मा0वि0चमियारी	4	4		1
	9. रा0उ0मा0वि0कामदा	4	4		1
चमोली	10. रा0उ0मा0वि0गणई मोल्टा	4	4		1
	11. रा0उ0मा0वि0ईराणी	4	4		1
	12. रा0उ0मा0वि0पैनी	4	4		1
	13 रा0उ0मा0वि0मैठाणा	4	4		1
	14. रा0उ0मा0वि0सवाड़	4	4		1
	15. रा0उ0मा0वि0कुराड़	4	4		1
	16. रा0उ0मा0वि0सरण ऐरास	4	4		1
	17. रा0उ0मा0वि0नैल सांकरी (बामेश्वर)	4	4		1
	18. रा0उ0मा0वि0आगरचट्टी	4	4		1
	19. रा0उ0मा0वि0हरगड़	4	4		1
	20. रा0उ0मा0वि0पज्याणखाल	4	4		1
	21. रा0उ0मा0वि0चूला गबनी	4	4		1
	22. रा0उ0मा0वि0सरपाणी (घाट)	4	4		1
टिहरी	23. रा0उ0मा0वि0मन्दार	4	4		1
	24. रा0उ0मा0वि0बौठ भरपूर	4	4		1
	25. रा0उ0मा0वि0खण्डकरी	4	4		1
	26. रा0उ0मा0वि0कोडारना	4	4		1
देहरादून	27. रा0उ0मा0वि0वाणी विहार	4	4		1
	28. रा0क0उ0मा0वि0 सहसपुर	4	4		1
पौड़ी	29. रा0उ0मा0वि0चमाड़ा	4	4		1
	30. रा0उ0मा0वि0गुणेडी	4	4		1
	31. रा0उ0मा0वि0गाड़ियूँ	4	4		1
	32. रा0उ0मा0वि0तिलधारखाल	4	4		1
	33. रा0उ0मा0वि0चोपड़ा	4	4		1
	34. रा0उ0मा0वि0मुसेटी	4	4		1
	35. रा0उ0मा0वि0पिनानी	4	4		1
	36. रा0उ0मा0वि0किमगड़ी–किमोली	4	4		1
	37. रा0उ0मा0वि0पंडिण्डा	4	4		1
	38. रा0उ0मा0वि0घोड़ापाला	4	4		1
	39. रा0उ0मा0वि0कनोठाखाल	4	4		1
	41. रा0क0उ0मा0वि0सेड़ियाखाल	4	4		1
	42. रा0क0उ0मा0वि0मिरचौड़ा (कल्जीखाल)	4	4		1
	43. रा0उ0मा0वि0नलई (कल्जीखाल)	4	4		1
	44. रा0उ0मा0वि0पाबौ	4	4		1
चम्पावत	45. रा0उ0मा0वि0कामाज्यूला	4			1

	46. रा0उ0मा0वि0रौशाल	4	4	1
	47. रा0उ0मा0वि0विविल	4	4	1
अल्मोड़ा	48. रा0क0उ0मा0वि0डूँगरा	4		1
	49. रा0उ0मा0वि0चिमतोली	4	4	1
	50. रा0उ0मा0वि0खनोलिया	4	4	1
	51. रा0उ0मा0वि0बसर	4	4	1
	52. रा0उ0मा0वि0ओनेडी	4	4	1
	53. रा0उ0मा0वि0टुपनोली	4	4	1
	54. रा0उ0मा0वि0कालीगाँव	4	4	1
बागेश्वर	55. रा0उ0मा0वि0लोहारगाँव 4	4		1
नैनीताल	56. रा0उ0मा0वि0पोखरी 4	4		1
	57 रा0उ0मा0वि0हरतोला	4	4	1
	58. रा0उ0मा0वि0सौड़	4	4	1
	59. रा0उ0मा0वि0कुनखेत	4	4	1
	60.रा0उ0मा0वि0नारायणनगर, कुसुमखेड़ा विठोरिया–नं01	4	4	1
	61. रा0क0उ0मा0वि0करनपुर	4	4	1
	62. रा0उ0मा0वि0मोहान	4	4	1
	63. रा0उ0मा0वि0देवीपुरा(मालधनचौड़)	4	4	1
	64. रा0उ0मा0वि0टेड़ा	4	4	1
	65. रा0उ0मा0वि0गौजानी	4	4	1
	66. रा0उ0मा0वि0चिल्किया	4	4	1
	67. रा0उ0मा0वि0स्यात(कोटाबाग)	4	4	1
	68. रा0उ0मा0वि0चादपुर (कोटाबाग)	4	4	1
	69. रा0उ0मा0वि0नौदा (कोटाबाग)	4	4	1
	70. रा0उ0मा0वि0घौलाखेड़ा	4	4	1
	71. रा0उ0मा0वि0कैड़ागाँव, ओखलकाण्डा	4	4	1
	72. रा0उ0मा0वि0खेड़ा, ओखलकाण्डा	4	4	1
	73. रा0उ0मा0वि0पटरानी ओखलकाण्डा	4	4	1
	79. रा0उ0मा0वि0चमाली	4	4	1
	80. रा0उ0मा0वि0वास्ते	4	4	1
	81. रा0उ0मा0वि0दौड़ा	4	4	1
	82. रा0उ0मा0वि0रिठारैतोली, वेरीनाग	4	4	1
	83. रा0उ0मा0वि0गाँधीनगर	4	4	1
रूद्रपयाग	84. रा0उ0मा0वि0कण्डाली	4	4	1
	85. रा0उ0मा0वि0कालीमठ	4	4	1
	86. रा0उ0मा0वि0 नागजगई	4	4	1
हरिद्वार	87. रा0उ0मा0वि0 निरंजनपुर, लक्सर	4	4	1

	88. रा0उ0मा0वि0गोवर्द्धनपुर, खानपुर	4	4	1
	89. रा0उ0मा0वि0ऐंथल	4	4	1
कुल योग		**356**	**356**	**89**

जनपद का नाम	क्र0सं0	विद्यालय का नाम	कम्प्यूटरों की संख्या	यू0पी0एस0 की संख्या	प्रिन्टर्स की संख्या	स्पीकर सैट	मोडेम
नैनीताल	1	रा0उ0मा0वि0सतबूंगा	4	4	1	4	4
	2.	रा0उ0मा0वि0देवद्वार	4	4	1	4	4
	3.	रा0उ0मा0वि0ताड़खेत	4	4	1	4	, 4
	4.	रा0उ0मा0वि0ढोलाखेड़ा	4	4	1	4	4
	5.	रा0उ0मा0वि0डालकज्या ओखकाण्डा	4	4	1	4	4
	6.	रा0क0उ0मा0वि0राजपुरा	4	4	1	4	4
	7.	रा0उ0मा0वि0गांधीनगर	4	4	1	4	4
	8.	रा0उ0मा0वि0आखलढुंगा	4	4	1	4	4
	9.	रा0उ0मा0वि0थारीहल्दुआ	4	4	1	4	4
उधमसिंहनगर	10.	रा0क0उ0मा0वि0कासमपुर	4	4	1	4	4
	11.	रा0क0उ0मा0वि0राजपुर	4	4	1	4	4
	12.	रा0उ0मा0वि0पुरनपुर	4	4	1	4	4
	13.	रा0उ0मा0वि0बलखेड़ा	4	4	1	4	4

	14.	रा0उ0मा0वि0नगला तराई	4	4	1	4	4
	15.	रा0उ0मा0वि0बिलवालगांव	4	4	1	4	4
	16.	रा0उ0मा0वि0निलोटी	4	4	1	4	4
	17.	रा0उ0मा0वि0धूनाकोटी	4	4	1	4	4
	18.	रा0उ0मा0वि0स्वाला	4	4	1	4	4
	19.	रा0उ0मा0वि0सुई	4	4	1	4	4
	20.	रा0उ0मा0वि0बालतड़ी	4	4	1	4	4
पिथौरागढ़	21.	रा0उ0मा0वि0हिमतड़	4	4	1	4	4
	22.	रा0उ0मा0वि0सेल	4	4	1	4	4
	23.	रा0उ0मा0वि0चिटगल	4	4	1	4	4
	24.	रा0उ0मा0वि0पाताल भुवनेश्वर	4	4	1	4	4
	25.	रा0उ0मा0वि0बिर्थी	4	4	1	4	4
	26.	रा0उ0मा0वि0आमथल	4	4	1	4	4
		रा0उ0मा0वि0सि	4	4	1	4	4

	27.	लौनी					
	28.	रा0उ0मा0वि0गाडगांव	4	4	1	4	4
अल्मोड़ा	29.	रा0उ0मा0वि0चौंधार	4	4	1	4	4
	30.	रा0उ0मा0वि0कामा कनल गांव	4	4	1	4	4
	31.	रा0उ0मा0वि0भैंसोली 4	4	4	1	4	4
	32.	रा0क0उ0मा0वि0साकोट	4	4	1	4	4 4
	33.	रा0उ0मा0वि0भूल खर्कवाल गांव	4	4	1	4	4 4
	34.	रा0उ0मा0वि0बिरौड़ा	4	4	1	4	4 4
बागेश्वर	35.	रा0उ0मा0वि0गुलेर	4	4	1	4	4
	36.	रा0उ0मा0वि0बेड़ा मझेड़ा	4	4	1	4	4 4
	37.	रा0उ0मा0वि0सनगाड	4	4	1	4	4 4
	38.	रा0उ0मा0वि0विलौना	4	4	1	4	4 4
	39.	रा0उ0मा0वि0मलसूना	4	4	1	4	4 4
	40.	रा0उ0मा0वि0गलई कनधार	4	4	1	4	4 4

	41.	रा0उ0मा0वि0गड़खेत	4	4	1	4	4 4
पौड़ी	42.	रा0उ0मा0वि0चोपड़ा मल्ला	4	4	1	4	4
	43.	रा0उ0मा0वि0हनुमन्ती	4	4	1	4	4
	44.	रा0उ0मा0वि0पुल्यासू	4	4	1	4	4
	45.	रा0क0उ0मा0वि0 सतपुली	4	4	1	4	4
	46.	रा0उ0मा0वि0नन्दाखाल	4	4	1	4	4
	47.	रा0उ0मा0वि0बैंगवाड़ी	4	4	1	4	4
	48.	रा0क0उ0मा0वि0 श्रीकोट गंगनाली	4	4	1	4	4
	49.	रा0क0उ0मा0वि0 मुछियाली	4	4	1	4	4
	50.	रा0उ0मा0वि0बसेला	4	4	1	4	4
रुद्रप्रयाग	51.	रा0उ0मा0वि0लौंगा सकलाना	4	4	1	4	4
	52.	रा0उ0मा0वि0हड़ेतीखाल	4	4	1	4	4
	53.	रा0उ0मा0वि0खड़पतियाखाल	4	4	1	4	4
चमोली	54.	रा0उ0मा0वि0जोलाकोट	4	4	1	4	4

	55.	रा0उ0मा0वि0पाखी	4	4	1	4	4
देहरादून	56.	रा0उ0मा0वि0बड़ोथा	4	4	1	4	4
	57.	रा0उ0मा0वि0दसऊ	4	4	1	4	4
	58.	रा0उ0मा0वि0ढकरानी	4	4	1	4	4
	59.	रा0उ0मा0वि0कटापत्थर	4	4	1	4	4
	60.	रा0उ0मा0वि0कोरूवा (कालसी)	4	4	1	4	4
	61.	रा0उ0मा0वि0विरसनी	4	4	1	4	4
	62.	रा0उ0मा0वि0ब्रह्मपुरी	4	4	1	4	4
	63.	रा0उ0मा0वि0चकजोगीवाला	4	4	1	4	4
	64.	रा0उ0मा0वि0 बड़ासी	4	4	1	4	4
टिहरी	65.	रा0उ0मा0वि0थालकाधार	4	4	1	4	4
	66	रा0उ0मा0वि0रगड़ी	4	4	1	4	4
	रा0उ0मा0वि0पलेठी डोबाल्यिों		4	4	1	4	4
	रा0उ0मा0वि0बगड़वालधार		4	4	1	4	4

	रा0उ0मा0वि0मोलधार	4	4	1	4	4
	रा0क0उ0मा0वि0धारकोट (बडियारगढ़) स्व0 श्री गम्भीर सिंह कठैत स्मृति	4	4	1	4	4
	रा0उ0मा0वि0ओबरी	4	4	1	4	4
	रा0उ0मा0वि0मठियाली	4	4	1	4	4
	रा0उ0मा0वि0क्यारी	4	4	1	4	4
उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0किरसाली	4	4	1	4	
	. रा0उ0मा0वि0खरसाली	4	4	1	4	4 4
	. रा0उ0मा0वि0बड़ेथी (घरासू)	4	4	1	4	4 4
	रा0क0उ0मा0वि0श्यामपुर	4	4	1	4	4 4
	रा0उ0मा0वि0सलेमपुर	4	4	1	4	4 4
	. रा0उ0मा0वि0बेलड़ी	4	4	1	4	4 4
	रा0उ0मा0वि0खेड़ी शिकोपुर	4	4	1	4	4 4
कुल योंग		324	324	81	324	324

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

कार्यक्रम का नाम – कक्षा 1से 8 सामान्य बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय–सीमा– एक वर्ष्

कार्यक्रम का उद्देश्य– सामान्य वर्ग के बालकों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य(विगत वर्ष में)– 12,52,913 छात्र/छात्रायें

लाभार्थी की पात्रता – कक्षा 1 से 8 राजकीय/सहायता प्राप्त अशाकीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना

पूर्वापेक्षायें– ×

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–

पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड–

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण/अनुदान की राशि–×

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया– ×

आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करे– अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) संबंधित जनपद

आवेदन शुल्क–

अन्य शुल्क–

आवेदन का प्रारूप–×

संलग्नकों की सूची–03

संलग्नकों का प्रारुप–03

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहॉ सम्पर्क करें– अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)

उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसा कि जिला/ब्लाक इत्यादि)–

लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)– विद्यालय स्तर पर उपलब्ध।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गॉव	मकान नं0

प्रेषक,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल ,

मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 14 जून,

विषय :– उर्दू एवं वैकल्पिक विषयों की पाठ्पुस्तकों के मुद्रण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–अका0अनुश्र0/6703/वैक0पा0पु0/2006–07 दिनांक 20.5.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2006–07 में कक्षा 1 से 8 तक की उर्दू एवं वैकल्पिक विषयों की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार हरिद्वार क्षरा विकसित पाण्डुलिपियों का परीक्षण/समीक्षा एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तरांचल से कराये जाने के उपरान्त एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली के निर्धारित मानकों/मूल्यों के आधार पर 01 प्रतिशत कम मूल्य पर वितरण करने की अनुमति प्रदान करते हुए मूल्यों के सापेक्ष में उपभोक्ता भण्डार हरिद्वार से 02 प्रतिशत रायल्टी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

सचिव